

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/टी.सी/2023/ 343

दिनांक : 14/09/2023

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जयपुर द्वितीय

विषय:- कार्मिका को कार्यग्रहण कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय के आदेश क्रमांक 116 दिनांक 21.07.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमती अंजू साँखला, फार्मासिस्ट को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा अपील संख्या 2166/2023 अंजू साँखला व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 की पालना मे कार्मिका को पूर्व पदस्थापन स्थान (सीएचसी बगरू जयपुर द्वितीय) पर कार्यग्रहण करवाते हुए पालना रिपोर्ट प्रेषित करे तथा अब तक माननीय न्यायालय व संदर्भित आदेश की पालना नही करने के संदर्भ मे भी अवगत करावें।

( सुरेश नवल )  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/टी.सी/2023/ 343

दिनांक : 14/09/2023

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन जयपुर ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर जयपुर द्वितीय।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरू जयपुर द्वितीय।
4. श्रीमति अंजू साँखला, फार्मासिस्ट को प्रेषित कर लेख है कि आप अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रस्तुत करे।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
6. आदेश रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>  
Digitally Signed by Suresh  
Kumar Nawal  
Designation: Director  
Date :14-09-2023 04:28:14